32

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 78 / 2018

दीनदयाल

बनाम

जीवणराम आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड,
विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री महेश कुमार वर्मा
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री तेजपाल सिंह दूत

:: **आदेश** ::

दिनांक 23.07.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त उनवान का दावा वादी द्वारा ग्राम मोहनवाड़ी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 1.63 है0 के बाबत पेश किया गया है। वाद पत्र के माध्यम से विभाजन की इस्तदुआ चाही गई है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन होकर नामांतकरण संख्या 1307 दिनांक 24.05.2018 को होकर खाता अलग अलग होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। जो तथ्य को प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत रूप से विभाजन हो चुका है जो एक निर्णय है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह आधार लिया है कि दिनांक 24.05.2018 का विभाजन शुन्य है निरस्त होने योग्य है तथा विवादित आराजी का बंटवारा कर नामांतरण संख्या 1307 को निरस्त फरमाया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)(1) में विभाजन की दो प्रक्रिया बताई गई है जिसमे उन विभिन्न प्रभागो जिनमे जोत उक्त प्रकार से विभाजीत की जावे पर लगान के विवरण के बाटे के करार द्वारा या एक या अधिक सह अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और विभिन्न प्रभागों जिनमे यह विभाजीत की जावे पर लगान के विवरणों के प्रयोजनार्थ किसी वाद मे सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा। इस प्रकार पहला तरीका सह अभिधारियों के मध्य करार द्वारा धारा 53(2) का खण्ड 1 इसके साथ ही विभाजन जब करार द्वारा होता है तो राजस्थान अभिधृति (राजस्व मंडल) नियम 1955 में संशोधित नियम 1997 नियम 18–1 जोत के विभाजन तथा लगान के बंटवारे का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। जिसकी वहां अधिकारिता है तहसीलदार उस करार के शर्तो के अनुसार आदेश पारति करेगा और तदअनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष राजस्व अभियान न्याय आपके शिविर में प्रतिवादी नं0 1 व वादी जो सह खातेदार है उन्होंने अपनी मर्जी व सहमति से नियमानुसार धारा 53 (2) का खण्ड 1 मे व नियम 18 की पूर्ण पालना करते हुये न्यायालय श्रीमान तहसीलदार ने दिनांक 24.05.2018 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 1307 दर्ज होकर वादग्रस्त आराजी का विभाजन दर्ज रिकॉर्ड है यानि उक्त आदेश दिनांक 25.08.2015 अंतिम निर्णय व डिक्री है अगर वादी को उक्त आदेश को चुनौती देनी है तो वह सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करेगा विधि का प्रावधान भी यही है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे कोई निर्णय या डिक्री बनती है वह अंतिम आदेश है। उक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्व जिला कलेक्टर के न्यायालय में अपील ही आज्ञापक प्रावधान है परन्तु वादी ने अपील के विपरीत विभाजीत संम्पति को दुबारा विभाजन का वाद पेश किय है जो विधि द्वारा वर्जित वाद है इसलिए वादी का वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के प्रावधाननुसार खारीज होने योग्य है। वाद पत्र मे वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके सहमति से नाटक करके विभाजन करने वादी के ज्याद पढा लिखा नही होने केवल साक्षर होने दिशाओं का ज्ञान नही होने तथा वादी को धोखे मे रखकर दिनांक 24.05.2018 को हुये सहमति के विभाजन को चैलेंज कर दुबारा विभाजन की डिमाण्ड की है जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति के आधार पर अपने हस्ताक्षर कर बंटवारा करवाया है। वादी ने उक्त सहमति को धोखे का आधार देकर चुनौती दी है कानूनन इस प्रकार के सहमति के विभाजन को माननीय न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है सक्षम सिविल न्यायालय ही इस प्रकार के वाद को सुन

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सकता है। श्रीमान न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही है। उक्त वाद क्षैत्राधिकार विहिन है तथा विधि द्वारा वर्जित है जो अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के प्रावधानुसार खारीज होने योग्य है। उक्त वाद के लिए वादी को वाद हैतुक नही है इसलिए वाद हैतुक के अभाव मे वादी का वाद खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद क्षैत्राधिकार के अभाव मे विधि द्वारा वर्जित होने तथा वाद हेतुक के अभाव मे अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधान अनुसार खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पूर्वजों की जमीन है। वादी वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिससा दक्षिणी तरफ पीढियों से काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी नं0 1 उत्तरी तरफ के 1/2 हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादी नं0 1 के लिए आने जाने का रास्ता वादग्रस्त जमीन के पश्चिमी तरफ से होकर सटकर स्थित है जो आज भी कायम है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से की उत्तरी तरफ की जमीन मे सदा से आता जाता रहा है। प्रतिवादी नं0 1 का यह कहना कतई गलत है कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन हो चुका है। प्रतिवादी नं0 1 चालबाज व साजसी व्यक्ति है जिसने राजस्व कर्मियों से मिलकर न्याय आपके द्वार शिविरों में दिनांक 24.05.2018 को सहमति का नाटक करके वादग्रस्त जमीन का विभाजन दिखाया गया जो मौके के हिसाब से गलत है प्रतिवादी नं0 1 ने वादी को नशे की दवा पिलाकर धोखे से हस्ताक्षर करवाये है।। जिस पर वादी सहमत नही है। न्याय आपके द्वार शिविरों में तथाकथित किया गया विभाजन प्रारम्भ से ही शुन्य है क्योंकि इससे वादी सहमत नही है। प्रतिवादी नं0 1 की नियत खसरा ब है वह वादग्रस्त जमीन को बेचने की फिराक में है। कानूनन एवं तथ्यात्मक रूप से जब तक दोनो पक्षकार सहमत नही हो जाते है तब तक विधिवत विभाजन मान्य नही होता है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र इस मामले मे चस्पा नही होता है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारहीन बाते लिखी है जिसका कोई औचित्य नही होने के कारण खारीज होने योग्य है। कानून की भी यही मंशा है कि वाद मे जबाब पेश होने के पश्चात विवाधक विरचित किये जाने के उपरांत पक्कारान की साक्ष्य लेकर ही अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए। यह सही है कि वादी ज्यादा पढा लिखा नही है ना ही दिशाओं का ज्ञान है यह सही है कि वादी को धोखे मे रखकर दिनांक 24.05.2018 का तथाकथित विभाजन करवाकर गया है जो कतई सही नही है। प्रारम्भ से ही शुन्य है। विवादग्रस्त जमीन माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण यह दावा सुनने का श्रीमान को पूर्ण क्षैत्राधिकार है। वादी का वाद किसी प्रकार से विधि वर्जित नही है। इस दावे में माननीय तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगवाई गई है जो कि पत्रावली मे मौजूद है श्रीमान उस रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे तो सहज ही निर्णय तक पहुंच पायेगे। इस दावे मे वादी का बाकयदा वादकारण पैदा हुआ है जो की दावे की धारा 6 में दर्ज है। इस तरह प्रतिवादी का प्रार्थना खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी नं0 1 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा में दर्ज विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.05.2018 को तहसीलदार नवलगढ़ के द्वारा पक्षकारान् की सहमति से विभाजन किया जा चुका है जिसे वादी निरस्त करवाना चाहता है परन्तु दिनांक 24.05.2018 को किये गये विभाजन को निरस्त करवाने के लिए किसी अपीलीय न्यायालय में चुनौती नही दी गई। तथा माननीय न्यायालय को किये गये विभाजन को निरस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार नही होने से तथा वादी को किसी प्रकार का वाद पेश करने के लिए वाद हैतुक प्रकट नही होने के कारण वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—चंदा राम और अन्य बनाम मंगू 1995, आर0आर0डी0 318 पृष्ठ संख्या 320, आर0आर0डी0 1985 पेज नं0 695 आदि पेश किये। जबाब बहस में वकील अप्रार्थी (वादी) ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.05.2018 को किया गया विभाजन वादी की सहमति से न होकर वादी के कम पढे लिखे होने तथा दिशाओं का ज्ञान नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर करवा लिया गया जिसे निरस्त कर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया जावे। दावा पेश करने हेतु वादकारण का उल्लेख वाद पत्र की मद संख्या 06 में वर्णित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत नजीर व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र में दर्ज विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 24.05.2018 को विधिवत रूप से विभाजन पक्षकारों की सहमति के आधार पर तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा किया जा चुका

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

है। वादी अपने वाद पत्र में उक्त विभाजन को मिलीभगत करके तथा वादी को धोखे मे रखकर किया जाना बताते हुए दिनांक 24.05.2018 को तहसीलदार द्वारा किया गया विभाजन शून्य बता रहा है लेकिन उक्त विभाजन को वादी द्वारा कही भी चैलेंज करके शून्य घोषित नही करवाया है। इस संबंध में वकील प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत "चंदाराम और अन्य बनाम मंगू और अन्य 1995 आर.आर.डी. 318 पेज नं0 320 के अनुसार **"जब किसी भी सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा कोई भी निर्णय पारित कर दिया जाता है तो उस निर्णय को या तो उस न्यायालय या अधिकारी के उपर के अधिकारी या न्यायालय मे अपील करके नियमानुसार निरस्त करवाया जा सकता है या उस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में शून्य घोषित करवाया जा सकता है या सक्षम सिविल न्यायालय मे उचित वाद प्रस्तुत करके यदि वादीगण चाहे तो शून्य घोषित करवा सकते है यदि वादीगण यह समझते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अवैध एवं शून्य है परन्तु स्वीकृत रूप से अंतर्गत धारा 88 अधिनियम या अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी या न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को शून्य एवं अवैध घोषित करने का अधिकार एवं प्रावधान राजस्व न्यायालयों को नही है।"** अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होता है। वादी उक्त विभाजन को सिविल न्यायालय या अपीलीय न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजुदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़